मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1295
28.06.2019 को उत्तर के लिए
नदियों में प्रदूषण

1295. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा संपूर्ण देश की नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कार्यान्वित की जा रही नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) : विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों जैसे अशोधित मल-जल का अवरोधन और मार्ग परिवर्तन, मल-जल बहिस्राव प्रणाली का निर्माण, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत के स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप, नदी तटाग्र/नहाने के घाटों का विकास आदि को करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच लागत साझेदारी के आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अभिज्ञात भागों में प्रदूषण के उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित किया है। एनआरसीपी के तहत कार्यों के कार्यान्वयन से नदियों में प्रदूषण की मात्रा में कमी आने के साथ-साथ उन शहरों, जहां इस कार्यकम को कार्यान्वित किया गया है, में पर्यावरण और स्वच्छता की दशा में सुधार आया है।

□□□□□□□□□ □□ □□□ {□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ 01.08.2014 □□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□} □□ □□ 5870.54 □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ 16 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ 77 □□□□□□□ □□□□ 34 □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ 2378.73 □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ ग□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ 2522.03 □□□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□) □□ □□-□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□।

राज्य सरकारें अपने बजटीय आबंटन के अलावा, अटल संरक्षण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न शहरों/कस्बों में मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) सहित मल-जल संबंधी आधारभूत संरचना के सृजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

नगरीय अपशिष्ट जल को नदियों में गिराए जाने से पहले उसका समुचित शोधन सुनिश्चित करने हेतु सीपीसीबी द्वारा अप्रैल, 2015 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1 (ख) के तहत देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अपने-अपने राज्यों में मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल-जल का उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अक्तूबर, 2015 में 66 महानगरीय शहरों और राज्यों की राजधानियों के नगरीय प्राधिकरणों को भी निदेश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, औद्योगिक बहिस्रावों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु सीपीसीबी तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव उत्सर्जन के मानकों के संदर्भ में उद्योग-धंधों की निगरानी की जाती है और मानकों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाती है। मानकों के अनुपालन की निगरानी में सुधार लाने हेतु सीपीसीबी द्वारा विशिष्ट उद्योग-धंधों को ऑन-लाइन 24x7 बहिस्राव निगरानी तंत्र स्थापित करने के निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा जल को अत्यधिक प्रदूषित करने वाले उद्योगों, विशेष रूप से नदियों के किनारे स्थित उद्योगों में कम से कम अपशिष्ट सृजन की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

****